

नीलामी की सूचना एव शर्तें कार्यालय नजारत अनुभाग, जनपद न्यायालय सोनभद्र


माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्रांक 3024/एडमिन(बी-1) सेक्शन, इलाहाबाद दिनांकित 18.05.2018 के प्रकाश में माननीय जनपद न्यायाधीश, सोनभद्र महोदय के आदेश दिनांकित 24.05.2018 के अनुपालन में सर्वसाधारण का सूचित किया जाता है कि जजशिप सोनभद्र के न्यायालय परिसर में स्थित तीन दुकानों—पान की दुकान जजी खण्ड, फोटो स्टेट की दुकान जजी खण्ड व पान की दुकान मुंसफ़ी खण्ड की नीलामी वित्तीय वर्ष 2018-19 की शेष अवधि के लिये सील बन्द टेण्डर/निविदायें दिनांक 14.06.2018 को समय अपराह्न 02:00 बजे आमन्त्रित किया जाता है।

दुकानों आदि का विवरण जिनकी पुनः नीलामी सील बन्द टेण्डर के माध्यम से की जानी है :-

क.स.	दुकानों का नाम	स्थान का नाम	जमानत धनराशि
1	पान की दुकान	जजी खण्ड (पुरानी ट्रेजरी बिल्डिंग के बाये साइड)	5000-00
2	फोटो स्टेट	जजी खण्ड (पुरानी ट्रेजरी-बिल्डिंग के बाये साइड)	5000-00
3	पान की दुकान	मुंसफ़ी खण्ड	5000-00

नेट:-

1. यह कि, जिन ठेकेदारों के नाम काली सूची में है वे टेण्डर डालने के लिए अधिकृत नहीं होंगे।
2. यह कि, कोई भी व्यक्ति किसी अन्य के लिए टेण्डर नहीं डाल सकता।
3. यह कि, सुरक्षा धनराशि नजारत अनुभाग में टेण्डर के साथ नकद जमा करना है।
4. यह कि, दुकानों की नीलामी समिति के समक्ष सील बन्द टेण्डर खोला जायेगा उस समय टेण्डरकर्ता की उपस्थिति आवश्यक है।
5. यह कि, बिना कोई कारण बताए टेण्डर को स्वीकार करने का या अस्वीकार करने का अधिकार माननीय जनपद न्यायाधीश, सोनभद्र को होगा।
6. यह कि, उच्चतम बोली वाले टेण्डरकर्ता को नीलामी की धनराशि तुरन्त एक मुश्त जमा करना पड़ेगा।
7. यह कि, दुकानदार अपने सामानों की सुरक्षा का स्वयं जिम्मेदार होगा।
8. यह कि, उपरोक्त शर्तों के विषय में कोई भी विवाद का क्षेत्राधिकार माननीय जनपद न्यायाधीश, सोनभद्र को ही होगा।
9. यह कि, उपरोक्त शर्तों को यदि द्वितीय पक्ष पालन नहीं करता है तो उसके द्वारा जमानत धनराशि प्रथम पक्ष द्वारा जब्त कर ली जाएगी तथा ठेका निरस्त होने पर हर्जाना यथास्थिति अवशेष धनराशि की सीमा तक द्वितीय पक्ष से वसूल कर लिया जाएगा।


 प्रभारी अधिकारी—नजारत,
 जनपद न्यायालय,
 सोनभद्र।
 25/05/2018